न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 001/2009

प्रार्थी — **बनाम** — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थी:

1. श्री अभयसिंह पुत्र श्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी उन्द्रा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री भंवर पुत्र श्री डूंगाराम जाति पुरोहित निवासी शिवगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्रीमती बादलीबाई वेवा श्री डूंगाराम जाति पुरोहित निवासी शिवगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

अप्रार्थीगण:

1. सरपंच ग्राम पंचायत, उन्द्रा।
2. श्रीमती श्रेषकुंवर पत्नि स्व. श्री मूलसिंह जाति राजपूत निवासी उन्द्रा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री खुशपालसिंह पुत्र स्व. श्री मूलसिंह जाति राजपूत निवासी उन्द्रा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्रीमती रूपकुंवर बेवा स्व. श्री गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी उन्द्रा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री भंवरसिंह देवड़ा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री नगेन्द्र मेड़तिया, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो से चार की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, उन्द्रा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पति व अप्रार्थी संख्या तीन के पिता स्व. श्री मूलसिंह पुत्र श्री कानसिंह निवासी उन्द्रा के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 003257 दिनांक 20.03.2003 वर्गफीट 3395 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरुद्ध है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र [illegible] किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो व तीन की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेड़तिया जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी। प्रकरण में दोनों पक्षों की [illegible] बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:16:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री भंवरसिंह देवड़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पति व अप्रार्थी संख्या तीन के पिता स्व. श्री मूलसिंह पुत्र श्री कानसिंह निवासी उन्द्रा को नियमों के विपरित पट्टा संख्या 003257 दिनांक 20.03.2003 वर्गफीट 3395 जारी किया है। पंचायत के अभिलेख में भूमि के विक्रय के संबंध मे मिसल दायर संख्या 24/2003–04 दिनांक 05.12.2005 को दर्ज की गई है तथा पट्टे मे भी मिसल संख्या 24/2003–04 दिनांक 05.12.2005 दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि प्रार्थी के पिता श्री कानसिंह के तीन पुत्र श्री मूलसिंह, श्री गणपतसिंह एवं श्री अभयसिंह। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई अपनी पुश्तैनी जमीन पर ही निवासरत है। उनके बीच आज दिन तक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थी के भाई मूलसिंह ने अन्य दो भाईयों के बताए बिना पुश्तैनी जमीन के आधे से भी अधिक हिस्से पर वर्ष 2003 में पट्टा जारी करवा लिया जबकि उनका विवादित भूमि में तीसरा हिस्सा ही बनता है। प्रार्थी बॉम्बे में नौकरी करता है वह सामाजिक कार्यवश गांव आया तब पता चला कि उसके भाई ने उक्त मकान में पट्टा जारी करवा लिया है और शेष बची हुई पुश्तैनी भूमि का रास्ता भी मूलसिंह के मकान के पास से ही है जिस पर इसने ताला लगा दिया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित पट्टा संख्या 003257 दिनांक 20.03.2003 वर्गफीट 3395 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेड़तिया दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो के पति को नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। ग्राम पंचायत उन्द्रा द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या दो के पति को पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या दो के पति का विवादित भूमि पर वर्षो पुराना कब्जा है। विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि न होकर श्री मूलसिंह पुत्र श्री कानसिंह के कब्जे व भोगवटे की भूमि है जिस पर मूलसिंह ने स्वयं की आय से मकान बनाया है। प्रार्थी के पिता का पुश्तैनी मकान गांव की मुख्य आवादी में स्थित था जबकि विवादित भूमि गांव के बाहर की तरफ स्थित है जिस पर बचत व आवास ऋण लेकर मकान बनाया है। प्रार्थी के मुम्बई चले जाने के बाद उनका परिवार अकेला रह गया तब अप्रार्थी संख्या दो के पति ने उनके परिवार को अपने मकान में एक कमरा दिया। प्रार्थी 2004 मे मुम्बई गया था जबकि पट्टे की कार्यवाई 2003 में हुई एवं यह समस्त कार्यवाई प्रार्थी के सामने ही हुई थी। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियम से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से की गई बहस एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन [illegible] अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:16:29 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या दो का [illegible] पंचायत के प्रस्ताव लेकर जारी किया गया है [illegible] राजस्थान पंचायती [illegible] नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता [illegible] कि विवादित भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी जमीन है जिस पर प्रार्थी एवं उसके [illegible] भाई निवासरत है एवं उनके बीच आज दिन तक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थी के भाई श्री मूलसिंह ने अपनी पुश्तैनी जमीन के आधे से भी अधिक हिस्से पर अन्य भाईयों को बताए बिना वर्ष 2003 में पट्टा जारी करवा लिया जबकि उसका विवादित भूमि पर केवल तीसरा हिस्सा था। अप्रार्थी अधिवक्ता

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

का यह कथन है कि विवादित भूमि श्री मूलसिंह की पुश्तैनी जमीन न होकर कब्जे व भोगवटे की भूमि है जिस पर श्री मूलसिंह ने स्वयं की आय से मकान बनाया है। प्रार्थी के पिता का पुश्तैनी मकान गांव की आबादी में स्थित था जबकि विवादित भूमि गांव के बाहर की तरफ स्थित है एवं पट्टे की समस्त कार्यवाई प्रार्थी के मुम्बई जाने से पूर्व ही हुई थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है जो यह साबित कर सके कि विवादित भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी जमीन है एवं उनके बीच बंटवारा हुआ है अथवा नहीं और न ही यह साबित कर सकता है कि श्री मूलसिह ने अपनी हिस्से की जमीन से अधिक जमीन पर पट्टा जारी करवाया है। प्रार्थी ने मुम्बई में रहने का कथन तो किया है लेकिन उन्होने इसका भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि वह पट्टे की कार्यवाई से पूर्व में मुम्बई गया था अथवा वाद में। अतः पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण यह न्यायालय पंचायत के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:16:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner